न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2011 अपील

राकेश आहूजा पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश आहूजा
निवासी दर्जी ओली माधोगंज ग्वालियर
------अपीलान्ट

बनाम

1. आई.सी.डी.आई. बैंक शाखा नया बाजार लश्कर ग्वालियर
2. नायब तहसीलदार तहसील ग्वालियर म.प्र.
—— रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायलय आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र. के प्र.क. 11/07-08/विविध में पारित आदेश दिनांक 30-06-2010 के विरुद्ध अपील जानकारी दिनांक से अंदर अवधि प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है :–

अपील के संक्षिप्त तथ्य:–

1. यह कि, प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा मुझ अपीलान्ट के विरुद्ध अपर तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष म.प्र. लोन धन राशियों की वसूली अधिनियम 1987 के तहत अपर तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष कार्यवाही की जा रही है।

2. यह कि, प्रकरण में अपर तहसीलदार ग्वालियर के द्वारा सही कार्यवाही ना कर अवैध एवं अनियमित कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में विशेष रुचि लेकर पेशी पास–पास की दिया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से तंग होकर संहिता की धारा 29 के तहत आवेदन पत्र अपर आयुक्त महो

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 121–पीबीआर/2011 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही की जा रही है । प्रकरण में अन्तरण का औचित्य नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	